संख्या-103 -प0अ0/2004-42 पर्य0/2003

प्रेषक,

एन0एन0प्रसाद,
सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

निदेशक पर्यटन,
उत्तरांचल, देहरादून ।

पर्यटन अनुभाग:

देहरादून दिनांक9 ~~जनवरी~~ मार्च 2004

विषय: उत्तरांचल में हाईमास्ट व्यवस्था हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-381/2-6-356/2003-04 दिनांक 1-12-2003 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तरांचल में हाईमास्ट व्यवस्था हेतु रू0 55.375 लाख के आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रूपये 51.10 लाख के आगणनों पर प्रशासनिक स्वीकृति के साथ ही रू0 20.00 लाख (रूपये बीस लाख मात्र) की धनराशि को निम्नतालिका के कालम-5 के विवरणानुसार डिपाजिट के रूप में कार्य कराने हेतु आहरित कर व्यय करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है ।

धनराशि (लाख रूपये में)

क्र0सं0	योजना का नाम	मूल आगणन	टी0ए0सी द्वारा अनुमोदित लागत	वित्तीय वर्ष 2003-04 में जारी धनराशि
1	2	3	4	5
1-	देवप्रयाग में हाईमास्ट व्यवस्था	8.985	8.98	8.00
2-	कुमायूँ क्षेत्र के पर्यटक स्थलों रानीखेत (चिलियानोला पर्यटक आवास गृह के ट्रिकेट),बैजनाथपर्यटक आवास के निकट एवं बागेश्वर (बस स्टेन्ड के निकट) का हाईमास्ट व्यवस्था	46.39	42.12	12.00
	कुल योग	55.375	51.10	20.00

कुल योग- (रूपये बीस लाख मात्र)

2- उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें ।

4- उपरोक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर उक्त व्यवस्था का संचालन/रखरखाव तथा इसके विधुतिकरण पर होने वाला व्यय किसके द्वारा किया जायेगा । संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित होने के उपरान्त ही हाईमास्ट की स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया जाय। हाईमास्ट के संचालन एवं इसके अनुरक्षण तथा विधुत व्यय हेतु सम्बन्धित नगर पंचायत से लिखित बचनबद्धता प्राप्त कर ली जाय कि इसका उक्त समस्त व्यय अपने संसाधनों से किया जायेगा और इस हेतु पर्यटन विभाग या अन्य विभागीय बजट से कोई अतिरिक्त आवर्तक/अनावर्तक धनराशि शासन द्वारा नही स्वीकृत की जायेगी।

5- योजना क्रमांक-1 हेतु अवशेष धनराशि का भुगतान तभी किया जायेगा जब योजनापूर्ण कर हस्तान्तरित कर संचालन हेतु हस्तान्तरित कर दिया जायेगा ।

6- योजना क्रमांक 2 के अन्तर्गत अन्य स्थलों पर हाईमास्ट व्यवस्था हेतु धनराशि की स्वीकृति तथा अवशेष धनराशि का भुगतान तभी किया जायेगा जब स्वीकृत तीन स्थलो पर निर्माण कार्य पूर्ण कर संचालन हेतु हस्तान्तरित कर दी जायेगी ।

7– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

8– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये ।

9– एक मुश्त प्राविधान का कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

10– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

11– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एंव भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें ।

12– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए ।

13– निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

14– स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31–3–2004 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। पूर्व स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

15– यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी । स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय ।

16– यदि उक्त स्थानों पर हाईमास्ट इस विभाग या अन्य विभागों के बजट से इसके पूर्व लगाया जा चुका हो या धनराशि स्वीकृत हो गयी हो तो इस स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा और इसकी सूचना शासन को देकर धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

17– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003–2004 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय – 80 – सामान्य – आयोजनागत –104 – सम्वर्धन तथा प्रचार – 04–राज्य सैक्टर–44 – हाईमास्ट प्रकाश व्यवस्था–00–42–अन्य व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

18– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–2916/वित्त अनु0–3/2004, दिनांक 23 फरवरी ,2004 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एन0एन0प्रसाद)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या– –प0310/2004–42पर्य/2003, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– निजी सचिव मा0 मुख्यमन्त्री जी, उत्तरांचल शासन ।
4– निजी सचिव मा0 पर्यटन मन्त्री जी, उत्तरांचल शासन ।
5– आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल ।
6– जिलाधिकारी टिहरी/बागेश्वर/नैनीताल ।
7– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
8– श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त ।
9– निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर ।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एन0प्रसाद)
सचिव